

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प.3(1)सा.प्र./2/2011/पार्ट-1

जयपुर, दिनांक 24 N. / 11

-: आदेश :-

श्री आलोक चन्द्र शर्मा, आर.पी.एस. पुलिस उप अधीक्षक, आर्टकवाद निरोधक दस्ता, राजस्थान, जयपुर जिनकी तृतीय श्रेणी की वरियता राख्या 41/2010 है तथा सेवानिवृत्ति दिनांक 31.10.2036 है के आधार पर उनके निवास हेतु इस विभाग के आदेश संख्या प.14(1)सा.प्र./2/09 दिनांक 13.11.2009 के परिपेक्ष्य नीतिगत निर्णय को देखते हुये विभागीय दिशा निर्देशों की अनुपालना में राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 में शिथिलन प्रदान करते हुए राजकीय आवास संख्या एफ-424, गांधीनगर, जयपुर (रिक्त होने की प्रत्याशा में) नियमानुसार किराये पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटित किया जाता है :

शर्तः-

- 1 आवास का कब्जा आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त रामज्ञा जावेगा।
 - 2 उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
 - 3 सेवानिवृत्ति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
 - 4 जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
 - 5 स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
 - 6 चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का रिक्त होने की प्रत्याशा में आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञे हो तो रोक दिया जायेगा।
 - 7 सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी- कृपया आवंटी के द्वारा आवास का आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अ-यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
 - 8 आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी:-
 - 1 आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 - 2 आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
- 9 उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्त भी मान्य होगी।

आज्ञा से,


शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 समाजीय आयुक्त, जयपुर।
- 2 जिला कलक्टर, जयपुर।
- 3 शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर।
- 4 निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सविवालय, जयपुर।
- 5 मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 6 पुलिस अधीक्षक, आर्टकवाद निरोधक दस्ता, जयपुर।
- 7 प्रबन्ध निदेशक, राजकौम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
- 8 कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
- 9 अधिशासी अभियन्ता, सा.0गिरि/जन स्वा.0 अभि० वि०/जयपुर विभिन्न नियम लिंग, गांधीनगर जयपुर। संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को भी अमल में लायें।
- 10 श्री आलोक चन्द्र शर्मा, उप अधीक्षक पुलिस, आर्टकवाद निरोधक दस्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 11 निदेशक, उद्यान विज्ञा, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
- 12 सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें तथा आवंटन आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चापा करावें।
- 13 शासन सहायक सचिव (नोडल अधिकारी) सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
- 14 निजी रायिव, प्रमुख शासन रायिव, शासन सचिव, साप्रवि।
- 15 रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव